

कार्यालय मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता

श्याम शाह चिकित्सा महाविद्यालय, रीवा (म०प्र०)

कार्यालय दूरभाष नं.— 07662-241655

ई-मेल— deanmcrewa@rediffmail.com

फैक्स नं.— 07662-251167

वेबसाइट—www.ssmcrewa.com

क्रमांक 22199/स्था./अराज./एमसी/2022

रीवा, दिनांक 22.07.22.

आदेश

स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के ज्ञाप क्र. आर-15012/31/2020-एच.आर.-व्ही.आर.डी.एल., दिनांक 01 जुलाई, 2021 के अनुक्रम में कार्यालयीन विज्ञप्ति क्र. 16690/स्था/अराज/एमसी/2022, रीवा, दिनांक 27.07.2022 द्वारा महाविद्यालय स्तर पर वायरस रिसर्च एण्ड डायग्नोस्टिक लैब (VRDL) में संविदा आधार पर (On Contractual Basis) विज्ञापित पदों में से मल्टी टास्किंग स्टाफ के पद पर निश्चित मासिक वेतन— रु. 18000/- प्रतिमाह पर निम्नलिखित अभ्यर्थी का चयन कर निर्धारित शर्तों के अधीन नियुक्ति प्रदान की जाती है:-

S.No.	Name of Candidates	Father/Husband Name	Corresponding Address	Cat.	Selected Cat.
1	Rahul Tiwari	Rajesh Tiwari	641/Ward 06, Beeda Road, Near Shahi Apartment, In Front of Dwivedi Kirana Store, Dhekha, Rewa (M.P.), Pin- 486001	UR	UR

संविदा सेवा शर्तें निम्नानुसार रहेंगी:-

1. आदेश जारी होने के दिनांक से 15 दिवस के अन्दर उपस्थिति प्रतिवेदन अधोहस्ताक्षरी को सौंपना अनिवार्य होगा। निर्धारित अवधि में पदभार ग्रहण न करने पर आदेश स्वयं समाप्त माना जावेगा।
2. कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व नियुक्त किए गए अभ्यर्थी को रु. 100/- के नॉन ज्यूडिशियल नोटराईज्ड स्टाम्प पर आपराधिक प्रकरण दर्ज न होने अथवा किसी भी न्यायालय में आपराधिक प्रकरण लंबित न होने का शपथ पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
3. यह नियुक्ति पूर्णतः संविदा आधार पर है तथा नियोक्ता को बिना किसी कारण बताए संबंधित की सेवाएं समाप्त करने का अधिकार होगा।
4. यह नियुक्ति दिनांक 31 मार्च 2023 तक के लिये होगी।
5. वार्षिक कार्य आधारित मूल्यांकन में योग्य पाये जाने तथा परियोजना में उपलब्ध बजट के आधार पर संबंधित की कार्य अवधि एक कार्य विराम दिवस के पश्चात् 01-01 वर्ष के लिए बढ़ाई जा सकेगी।
6. संविदा अवधि के दौरान दोनो पक्षों में से किसी एक पक्ष द्वारा एक माह की पूर्व नोटिस या उसके एवज में एक माह का वेतन देकर संविदा नियुक्ति निर्धारित संविदा अवधि के पूर्व समाप्त की जा सकेगी।
7. संविदा नियुक्ति के आधार पर नियमितीकरण संबंधी कोई मांग या दावे स्वीकार्य नहीं होंगे।
8. संविदा अवधि में निम्नानुसार अवकाश देय होगा:-
 - A) वार्षिक/अर्जित अवकाश: 01 वर्ष में 30 दिवस (2.5 दिन प्रतिमाह पूर्ण होने के उपरांत)
 - B) मातृत्व अवकाश: 180 दिवस।
 - C) 08 दिवस आकस्मिक तथा 02 दिवस का ऐच्छिक अवकाश।
 - D) एक दिवस का साप्ताहिक अवकाश।
9. नियुक्त संविदा कर्मचारी को किसी भी प्रकार का अन्य भत्ता देय नहीं होगा।

क्रमशः पेज...02

10. चयनित उम्मीदवार को उपस्थित प्रतिवेदन के साथ स्वशासी संस्था द्वारा गठित मेडिकल बोर्ड का फिटनेस प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
11. कार्यभार ग्रहण करने के उपरांत संविदा कर्मचारी को उनके पदस्थापना स्थल पर निवास करना अनिवार्य होगा।
12. संविदा कर्मचारी द्वारा कदाचरण करने अथवा किसी अपराधिक कृत्य में लिप्त होने अथवा कर्त्तव्य स्थल से निरंतर 07 दिवस से अधिक बिना सूचना के अनुपस्थित रहने पर संविदा नियुक्ति समाप्त की जा सकेगी।
13. उपस्थित प्रतिवेदन के साथ समस्त दस्तावेजों की स्वप्रमाणित छायाप्रतियां संलग्न करना अनिवार्य होगा। दस्तावेज असत्य पाये जाने पर संबंधित के विरुद्ध विधि अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जावेगी।
14. संविदा सेवा अवधि के दौरान किसी भी प्रकार के अन्य संस्थानों/कार्यालयों में कार्य करने अथवा व्यक्तिगत तौर पर किसी भी प्रकार के व्यापार/व्यवसाय करना प्रतिबंधित होगा।

नोट:- प्रमाणित किया जाता है कि उक्त नियुक्ति में म.प्र. लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 (संशोधन सहित) के लिये आरक्षण प्रावधानों का पालन किया गया है।

Sarwat
21/9/22

(डॉ. देवेश सारस्वत)

मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता
श्याम शाह चिकित्सा महाविद्यालय रीवा (म.प्र.)

पृ.क्र...../स्था./अराज./एम.सी./2022,

रीवा, दिनांक

प्रतिलिपि :-

1. आयुक्त, चिकित्सा शिक्षा, म.प्र. भोपाल।
2. कमिश्नर, रीवा संभाग, रीवा एवं अध्यक्ष, कार्यकारणी समिति स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय रीवा।
3. उप सचिव, भारत सरकार, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग, द्वितीय तल, इंडियन रेडक्रॉस सोसाइटी भवन, रेडक्रॉस रोड, नई दिल्ली, 110001
4. संयुक्त संचालक एवं अधीक्षक, गांधी स्मारक चिकित्सालय, रीवा।
5. विभागाध्यक्ष, माइक्रोबायोलॉजी विभाग, चिकित्सा महाविद्यालय रीवा।
6. स्थानीय कार्यालय लेखा शाखा की ओर भेजकर लेख है कि संबंधित के मानदेय का भुगतान "Establishment of a network of laboratories for managing Epidemics and Natural Calamities" के अंतर्गत प्रदाय आवर्ती अनुदान में उपलब्ध स्टाफ सैलेरी मद में विकलनीय होगा।
7. संबंधित की ओर वास्ते पालनार्थ।

11
मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता
श्याम शाह चिकित्सा महाविद्यालय रीवा (म.प्र.)